

अनापत्ति प्रमाण पत्र कमेटी द्वारा

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 17-11-2015 को ग्राम पंचायत
कोरी ग्राम सभा सरपंच व ग्राम सभा के ग्रामीणों द्वारा बैठक में प्रतिभाग
 किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कगोली नोदी मो. मार्ग का विस्तार देकर
मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.9.7.4 हे0 वन पंचायत भूमि जो लोक निर्माण
 विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है उक्त प्रस्तावित भूमि का लोक निर्माण विभाग के
 नाम पर हस्तान्तरण किये जाने पर वन पंचायत सरपंच एवं कमेटी के सदस्यों को
 कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

क्र०सं०	सदस्य का नाम	हस्ताक्षर
①	लक्ष्मी प्रसाद -	
②	जगदीश सिंह	
③	किडिश प्रसाद	
④	विमल चंद	
⑤	अशोक शंकर	
6	विमल चंद	
⑦	महेश जीराड़ा	
8		
⑨	गगन लाल	
⑩	जगत सिंह शर्मा	
⑪		

सरपंच
 ग्राम पंचायत कोरी
 मुखिया देवी
 ग्राम कोरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र वन पंचायत सरपंच

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग।

विषय:- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में कगोली-कोटी
मोटर मार्ग का विस्तार

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम.....कोटी.....
वन पंचायत की कुल1:274.....हे० भूमि का लोक निर्माण विभाग के नाम
पर हस्तान्तरण होने में कमेटी के सदस्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया
गया है। अतः कमेटी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा
रहा है।

सरपंच
चमोली
(चमोली)
21/01/2021
ग्राम कोटी

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में बगोली कोटी मोटर मार्ग का विस्तार हेतु सिविल/वन पंचायती भूमि के प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में बगोली कोटी मोटर मार्ग का विस्तार हेतु जो सिविल/वनपंचायती/वन भूमि प्रस्तावित हो रही है, वह राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। उक्त मार्ग की राष्ट्रीय पार्क से दूरी लगभग 10 किमी. से अधिक है।


वन सहायिका
वन क्षेत्र अधिकारी
पंचायती भूमि विभाग, चमोली


प्रमाणित वन अधिकारी
उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)